

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी केंद्रीय/उत्पाद शुल्क अपील संख्या 205/2018

सीजीएसटी और सीई , अलवर , केंद्रीय माल और सेवा कर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयुक्त ए ब्लॉक, सूर्य नगर, अलवर।

---अपीलकर्ता

बनाम

वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, एसपी-290-292, औद्योगिक क्षेत्र, चोपानकी, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री अजय शुक्ला श्री राघव शर्मा
प्रतिवादी के लिए	:	सुश्री माही यादव, एएजी, सुश्री मुस्कान मथारू के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

02/08/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

- यह अपील सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित दिनांक 01.03.2018 के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी गैर-मीठा वातित जल, मीठा वातित जल, मिनरल वाटर और फलों के रस के विनिर्माण में लगा हुआ था। मार्च, 2011 से मार्च, 2013 की अवधि के दौरान, प्रतिवादी ने अधिसूचना संख्या 1/2011-सीई दिनांक 01 मार्च, 2011 (जिसे आगे 'अधिसूचना' कहा जाएगा) के अनुसार 1% उत्पाद शुल्क के भुगतान का लाभ उठाया। विवाद यह उठा कि अधिसूचना का लाभ उठाकर प्रतिवादी ने अधिसूचना के प्रावधान के साथ-साथ सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 (संक्षेप में 'सेनवैट नियम') के नियम 3(1) (i) प्रावधान खंड (ए) का उल्लंघन किया है। दूसरे शब्दों में, रियायती उत्पाद शुल्क के भुगतान का लाभ उठाकर, प्रतिवादी को इनपुट पर चुकाए गए शुल्क या इनपुट सेवाओं

पर कर का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए था। प्रतिवादी द्वारा दायर अपील में, मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी (जिसे आगे 'एओ' कहा जाएगा) को वापस भेज दिया गया था।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सेनवैट नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3डी) की वर्तमान मामले में कोई प्रयोज्यता नहीं है, इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा उप-नियम (3डी) के अनुसार मात्रा निर्धारण के लिए सीमित रिमांड गलत है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए तर्क दिया कि प्रतिवादी अधिसूचना के अनुसार रियायती दर पर वस्तुओं पर चुकाए गए शुल्क और अन्य उत्पादों के लिए अलग-अलग लेखा-बही रख रहा था। यह भी तर्क दिया गया कि रियायती शुल्क के भुगतान पर क्लियर किए गए माल के लिए सेनवैट क्रेडिट उलट दिया गया था।

5. दिनांक 22.08.2023 को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न तैयार किया गया:

"क्या न्यायाधिकरण द्वारा सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6 (3डी) के आलोक में मूल आदेश को रद्द करना सही था, इस तथ्य के बावजूद कि नियम 6 (3डी) विशेष रूप से छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए लागू है, जबकि संबंधित वस्तुओं पर शुल्क की रियायती दर लागू थी और सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 3 के प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि उन वस्तुओं के संबंध में शुल्क का सेनवैट क्रेडिट लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिनके लिए अधिसूचना संख्या 1/2011-सीई दिनांक 01.03.2011 के तहत छूट का लाभ लिया गया है?"

6. न्यायाधिकरण ने अपील पर निर्णय देते हुए कहा कि प्रतिवादी का यह तर्क कि जिन अंतिम उत्पादों पर रियायती दरों पर शुल्क का भुगतान किया गया था और अन्य वस्तुओं के लिए अलग-अलग लेखा पुस्तकें रखी जा रही थीं, एओ द्वारा निर्णय लेते समय विचार नहीं किया गया। मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया गया।

7. अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि यह परिमाणीकरण के लिए एक सीमित रिमांड था और सेनवैट नियमों के नियम 6 के उप-नियम (3डी) की प्रयोज्यता के मुद्दे पर निर्णय हो चुका है, गलत है। न्यायाधिकरण ने मामले को इस आधार पर वापस भेज दिया कि प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया गया, यह पूर्ण रिमांड है। न्यायाधिकरण के आदेश से कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न नहीं उठता।

8. अपील खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

सरल कुमावत /65

क्या रिपोर्ट योग्य है :- हाँ

अस्वीकरणः इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी